रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-104/2020/293/22-2-2020-17(239)/2018

लखनऊ: दिनांक: 07 मार्च, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला कारागार, आजमगढ** के सिद्धदोष **बन्दी राजगुरू मिश्र (बन्दी संख्या-121/15) पुत्र स्व0 कालिका मिश्र, जो-ग्राम-बरजी, थाना-कन्धरापुर, जनपद-आजमगढ** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-463/1983** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34** के अधीन **दिनांक 23.12.1985** को **मा0 सत्र न्यायाधीश, आजमगढ** द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2014 द्वारा यथावत रखा गया, बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, मेडिकल बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी को **DM.HTN.CAD.POST PTCA+SLAD** नामक बीमारी से पीडित होने के आधार पर एवं बन्दी की वृद्धावस्था, संतोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा बीमारी के आधार पर की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं, तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-104/2020/293(1)/22-2-2020 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ।
3- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in